न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2022 / 583

मुकदमा नम्बर 126 / 2022 दायर दिनांक–01.12.2022

1. सत्यवीर सिंह पुत्र बिरजू सिंह जाति राजपूत निवासी घोडीवारां खुर्द,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. मगनसिंह पुत्र बन्ने सिंह
2. मंजू कंवर पत्नी विनोद सिंह
3. देवी सिंह पुत्र महाबक्स सिंह
4. प्रताप सिह पुत्र महाबक्स सिंह
5. मोती सिंह पुत्र महाबक्ससिंह
6. रूधवीर सिंह पुत्र महाबक्स सिंह
7. श्योपाल सिंह पुत्र महाबक्ससिंह
8. पर्वतसिंह पत्रु सरजीत सिंह
9. रोहिताश सिंह पुत्र सरजीतसिंह
10. नन्दूसिंह पुत्र पूर्ण सिंह
11. नरेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
12. प्रीतमसिंह पुत्र पूर्णसिह
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह
14. भंवर कंवर पत्नी पूर्ण सिंह
15. मुकन्दसिंह पुत्र समदरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम घोडीवारां खुर्द तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
16. जरिये शाखा प्रबन्धक , बडौदा राज. क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मुकुन्दगढ जिला झुझुनू
17. जरिये शाखा प्रबन्धक ,स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मुकुन्दगढ, जिला झुझुनू
18. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

.........अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वकील आवेदक–श्री दयाराम सैनी, श्री पंकज जांगीड़

वकील अनावेदकगण 1 – श्री विकास कुमार सैनी

अनावेदक सं. 2 लगा. 17– एक पक्षीय

अनावेदक सं. 18– पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांक:–14 / 10 / 2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम घोडीवारां खुर्द के खसरा नं. 167 रकबा 1.93 है0 जिसकी खातेदारी आवेदक व अनावेदक सं. 1 व 2 के नाम से दर्ज है। ख.नं. 167 मे आने जाने के लिये ख.नं. 155 के पूर्व दिशा की

101

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

सींव के सहारे–सहारे 14 फीट चौडा रास्ता मुताबिक प्रा. पत्र के साथ संलगन नजरी नक्शे अनुसार लाल लाईन से बताये गये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 ने कोई जवाब पेश नही किया। अनावेदक 2 लगा. 17 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व इस प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 18 की और से पैरो. राज. उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/341 दिंनांक 2 अगस्त 2023 पेश हुई। जिसके अनुसार आवेदक के पास रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है। मौके पर ख. नं. 155 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 90 मीटर है। इस प्रकार से 4.2682 X 90 = 384 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है।

वकील उभय पक्ष द्वारा बहस प्रा. पत्र पेश करने पर बगौर सुनी गई। विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/341 दिंनांक 2 अगस्त 2023 व फर्द, नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया।

जिससे जाहिर है कि, आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता नियरेस्ट व सोरटेस्ट भी है तथा आवेदक के पास अपनी जोत तक पहुॅचने हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/341 दिंनांक 2 अगस्त 2023 व फर्द, नजरी नक्शे अनुसार ख.नं. 167 मे आने जाने के लिये ख.नं. 155 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर से दक्षिण, 4.2682 X 90 = 384 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता गै.मु. सिवायचक कायम कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2023/341 दिंनांक 2 अगस्त 2023 व फर्द, नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि की डीएलसी की दो गुणा राशि जमा होने पर रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। डीएलसी दर की दोगुनी राशि प्रभावित खातेदारान/अनावेदकगण को दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त न करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14/10/2024 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुंझुनू

Scanned with CamScanner